श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 4 दिसम्बर, 1987

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/48536.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० हरियाणा पेपर मिल्ज, 50-51, एन० आई० टी०, फरीदाबाद, के श्रमिक प्रधान/महा सचिव, हरियाणा पेपर इम्पलाईज यूनियन, 50-51, एन० आई० टी०, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या प्रबन्धकारिणी द्वारा कारखाने की दिनांक 1 अक्तूबर, 1987 से की गई तालाबन्दी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस विवरण से है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/91-87/48559.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० रब्बड़ उद्योग विकास प्रा० लि०, प्लाट नं० 60, सैक्टर 25, बल्लबगढ़, के श्रमिक/प्रधान/महा सचिव, रब्बड़ उद्योग इम्पलाईज यूनियन मार्फत श्री सुभाष चन्द्र, मकान नं० 76, श्याम कालोनी, बल्लबगढ़ हरियाणा तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

(1) क्या संस्था का प्रत्येक कामगार दो जोड़े यूनिफार्म लेने का हकदार है ? यदि हां, तो किस विवरण से है ?

(2) क्या संस्था का प्रत्येक कामगार दो जोड़े चमड़े के जूते लेनें का हकदार है ? यदि हां, तो किस विवरण से ?

(3) क्या संस्था के सभी कामगार धुलाई भत्ता 20 रुपये मासिक लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण से ?

मीनाक्षी आनन्द चौधरी,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 8 दिसम्बर, 1987

सं० ओ० वि०/एफ डी/43-84/48891.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० वलच आटो लि० प्लाट नं० 111/112, सैक्टर 6, फरीदाबाद, मार्फत प्लाट नं० 1-ए, सक्टर 27-डी, फरीदाबाद, के श्रमिक सर्वश्री सुरेश सिंह तथा अन्य 5 श्रमिक अनुबन्ध "क" मार्फत सीटू 2/7, गोपी, कालोनी, पुराना फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या सर्वश्री सुरेश सिंह तथा अन्य 5 श्रमिकों (अनुबन्ध "क") की सेवा समाप्त की गई है या उन्होंने स्वयं त्याग-पत्र देकर नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत के हकदार हैं ?

अनुबन्ध "क"

1. श्री सुरेश सिंह, पुत्र श्री कुलदीप सिंह,
2. श्री बंगाली शाह, पुत्र श्री रामचरन,
3. श्री सत्यनारायण, पुत्र श्री झपू,
4. श्री मोती लाल, पुत्र श्री केसर सिंह,
5. श्री रामबहादुर, पुत्र श्री राम चन्द,
6. श्री खचेरा, पुत्र श्री घासी

दिनांक 9 दिसम्बर, 1987

सं० औ०वि०/भिवानी/149-86/49153.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रबन्धक निदेशक, दी भिवानी सैन्ट्रल कोप्रेटिव बैंक लि०, भिवानी, के श्रमिक श्री महावीर प्रशाद कैशियर, पुत्र श्री जगन्नाथ शर्मा, मार्फत ठाकुर भानी सिंह की गली, लोहड़ बाजार, भिवानी, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री महावीर प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 10 दिसम्बर, 1987

सं० औ०वि०/भिवानी/240-87/49284.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० 1. सचिव, हरियाणा खादी मण्डल, हांसी रोड, भिवानी 2. चेयर मैन, हरियाणा खादी मण्डल, भिवानी, के श्रमिक श्री हवा सिंह, पुत्र श्री शेर सिंह जाट, मकान नं० 18/118, नाईयों वाली गली, बिचला बाजार, भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है:—

क्या श्री हवा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/भिवानी/248-87/49292.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० प्रबन्धक, दी दादरी प्राईमरी कोप० एग्रीकल्चरल डिवैल्पमैंट, बैंक, लि०, चरखी दादरी, जिला भिवानी, के श्रमिक श्री जगबीर सिंह, पियन-कम-चौकीदार, पुत्र श्री हवा सिंह, गांव सारन्जपुर, डा० नन्दगांव, जि० भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री जगबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./पानी/138-87/49299.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० बजरंग विविंग इण्डस्ट्रीज, कटारिया कालोनी, पानीपत के श्रमिक श्री प्रहलाद सिंह मार्फत कर्ण सिंह, मकान नं० 134, वीवर्ज कालोनी, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री प्रहलाद सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/भिवानी/216-87/49306.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दी डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्ज कोपरेटिव यूनियन लि०., भिवानी के श्रमिक श्री लक्ष्मी नारायण, पुत्र श्री चिरन्जी लाल, गांव चन्दावास, तह० तथा जिला भिवानी तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित हैं :—

क्या श्री लक्ष्मी नारायण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।